

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/76

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	31/2024	15/2/2024	<del>18/3/2024</del> 29/4/24	18/3/2024

अनवान

श्री शम्भुसिंह S/O गुजरावतारी राजसूत श्री मोहेश S/O हरिभद्रा गोष्ठी

निवासी बिजौलिया कलां तह. बिजौलिया निवासी बिजौलिया कलां तह. बिजौलिया  
कां (3)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री रामफूल धाकडा

श्री .....

# FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)






अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

शंगर वनाम गहरी  
किरम मुकदमा - 111-128 नम्बर 31 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/2 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र रसीमे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/03/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      बिजौलियां                 </p>	
18/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/24 तलबी पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                 </p>	
21/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उचित रूप पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                 </p>	
23/04/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/04/24 को वास्ते उचित रूप पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा                 </p>	
29/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 29/04/24 को वास्ते उचित रूप पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा                 </p>	

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजीलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)**

तारीख 15/2/24

प्रकरण संख्या - 31/24

शंभुसिंह पुत्र कुंजबिहारी जाति राजपुत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विजीलियां कलां तहसील  
विजीलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ..... प्रार्थी

**बनाम**

- 01 महेश पुत्र हरिशंकर जाति जोशी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विजीलियां कलां तहसील  
विजीलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 02 पार्वतीदेवी पति महेश जाति सेन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विजीलियां कलां तहसील  
विजीलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 03 मंगीबाई पति हाकमीचन्द जाति रावणा राजपुत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विजीलियां  
कलां तहसील विजीलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ..... विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एकट** दिनांक: 25/1/24

—: आदेश :-


प्रार्थना पत्र शंभुसिंह पुत्र कुंजबिहारी जाति राजपुत निवासी विजीलियां कलां  
तहसील विजीलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत  
कर निवेदन किया है कि भेरे एकल/संयुक्त खाते ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा  
तहसील विजीलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 178 पर अंकित आराजी संख्या  
272/156 रकबा 3-00 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते  
हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्दद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी  
गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात  
का खातेदार कारतकार है। पड़ीसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी  
के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक विजीलियां खुर्द को  
पत्थरगढी बाबत कभिरनर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर  
ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील विजीलियां की सरहद में स्थित खाता  
संख्या 178 पर अंकित आराजी संख्या 272/156 रकबा 3-00 बीघा भूमि बशामलाल  
पड़ीसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये  
राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार विजीलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।



**उपखण्ड अधिकारी**  
उपखण्ड अधिकारी  
विजीलियां, भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख १९/५/२५

प्रकरण संख्या - ३१/२५

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या .....३१/२५..... / 2024 पत्थरगढी बाबत।

शंभुसिंह पुत्र कुंजबिहारी जाति राजपुत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) .....प्रार्थी

## बनाम

01. महेश पुत्र हरिशंकर जाति जोशी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. पार्वतीदेवी पत्नि महेन्द्र जाति सेन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मांगीबाई पत्नि होक्मीचन्द जाति रावणा राजपुत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) .....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 178 पर अंकित आराजी संख्या 272/156 रकबा 3-00 बीघा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियां खुर्द कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उप उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
जिला भीलवाड़ा